

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक : प० 12(3)संसद / 2002

जयपुर, दिनांक : २७-०९-२०१७

परिपत्र

विषयः— चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के नवम् सत्र के दौरान विधान सभा भवन में प्रवेश-पत्र एवं वाहन पास जारी करने बाबत् ।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का नवम् सत्र सोमवार, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से प्रारम्भ होने जा रहा है। राजस्थान विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा में प्रवेश हेतु निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

- 1 राजस्थान विधान सभा की राजकीय दीर्घा की सीमित सीटों को मददेनजर रखते हुए अधिकारी दीर्घा का प्रवेश—पत्र केवल विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्षों एवं उप शासन सचिव स्तर के अधिकारियों को डी जारी किया जाएगा। विधान सभा में प्रवेश हेतु प्रवेश—पत्र जारी करने बाबत् प्रार्थना—पत्र भी नैयमानुसार उप शासन सचिव एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा विधान सभा को भेजे ज ने पर ही प्रवेश—पत्र जारी किया जाएगा। सत्रावधि में अधिकारी दीर्घा में सदन के कार्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारी दीर्घा में नहीं बैठे ताकि सदन के कार्य से संबंधित विभागों के शासन सचिव, विभागाध्यक्ष को दीर्घा में प्रवेश के लिए काफी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। कृपया इसका विशेष ध्यान रखा जावे।

अतः उपरोक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए समस्त विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे अपने विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के न्यूनतम संख्या में प्रवेश—पत्र बनवाने का प्रार्थना—पत्र विधान सभा सचिवालय को भिजवाएं।

2. विधान सभा भवन में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे स्वयं एवं अपने विभागों के अधिकारियों को भी विधान सभा से जारी किए गए प्रवेश—पत्र के साथ उनकी सही पहचान हो सके, इस दृष्टि से अपने विभागीय फोटो आईडेन्टिटी कार्ड भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें ताकि सुरक्षा की दृष्टि से विधान सभा भवन में प्रवेश होने से पूर्व उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। बिना पहचान सुनिश्चित किए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को विधान सभा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्षों से यह भी अनुरोध है कि अपने तथा अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों हेतु विधान सभा सचिवालय से जारी किए गए वाहन पास वाहन के निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य लगावें ताकि सुरक्षा की दृष्टि से उक्त वाहनों की विधान सभा परिसर में पार्किंग एवं निगरानी की उचित व्यवस्था की जा सके। वाहन पास नहीं बनवाए गए हों तो वाहनों हेतु पास विधान सभा सचिवालय से सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व बनवा लेवें।

कृपया परिपत्र की पावती की सूचना इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख सचिव / सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, संसदीय कार्य / विधि एवं न्याय मंत्री, राज., जयपुर।
 - वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
 - सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
 - समस्त अतिमुख्य सचिव महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
 - समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
 - जयपुर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष।
 - निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
 - रक्षित पत्रावली।

मंत्रीमण्डप
वृ ७-०९-१९